न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	C No 58/2018 उनवान शंकर वा॰ मंत्री 14/5/15 पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC को स्वीकार किया गया विरुद्ध मिसल मुताबिक नियम दायर पत्रावली में शा. किया गया पत्रावली मौके शुरू होकर नत्थी कर हो । उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	

न्यायालय सहायक कलक्टर, किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण

राजस्व वाद सं0 58/2018

1. शंकर पुत्र रामलाल उम्र करीबन 32 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

वादी

बनाम

2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि श्री श्यामलाल पुत्री स्व. श्री रामा पुत्र औकार जाति माली निवासी बान्दरसिन्दरी हाल निवासी न्यु आल सेट स्कुल के पास, धोलाभाटा रोड, अजमेर तहसील व जिला अजमेर राजस्थान व अन्य

प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थित वकील वादी श्री रामदेव गुर्जर

वकील प्रतिवादी श्री सुण्डाराम

निर्णय दिनांक 14/5/2015

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रतिवादी 01 की ओर से वकील सुण्डाराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर जाहिर किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17.05.2016 को तथाकथित रूप से एक शपथ पत्र वादी के हक में निष्पादित किया गया था। जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से यह कथन अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1557 क्षेत्रफल 4 बीघा 8 बिस्वा के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 वादी के हक में तथा वादी की इच्छा अनुसार बैनामा वादी के हक में निष्पादित करवा देगी। उक्त शपथ पत्र पर पहचानकर्ता के रूप में वादी के हस्ताक्षर है। उक्त तथाकथित शपथ पत्र दिनांक 17.05.2016 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट प्रकृट होता है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से इकरारनामे के रूप में उक्त शपथ पत्र धोखे से निष्पादित करवा लिया है। उक्त शपथ पत्र दिनांक 17.05.2016 के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वादी ने तथाकथित रूप से इकरारनामें के रूप में उक्त शपथ पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित करवा लिया। विधिनुसार इकरारनामें के आधार पर कोई भी व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इकरारनामें के आधार पर विधिनुसार कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस आधार पर माननीय न्यायालय को प्रथम दृष्टया ही इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। इसलिए वादी का वाद प्रथम दृष्टया ही विधि द्वारा वर्जित होने से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज किये जाने योग्य है। यह कि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि इकरारनामें की पालना हेतु सिविल न्यायालय में ही विनिर्दिष्ट अनुतोष की आज्ञप्ति हेतु वाद की सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को इकरारनामें से संबंधित भूमि की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में वाद की सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद मुख्य रूप से शपथ पत्र दिनांक 17.05.2016 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा तथाकथित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से इकरारनामें के रूप में उक्त शपथ पत्र निष्पादित करवा लिया है। उक्त शपथ पत्र की लिखावट तथाकथित रूप से इकरारनामें के रूप में लिखवायी गयी है। इसलिए उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

आधारों पर माननीय न्यायालय को उक्त राजस्व वाद की सुनवाई का प्रथम दृष्टया ही क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस आधार पर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अन्य आधार एवं विधिक बिन्दु बरवक्त बहस निवेदन कर दिये जायेगें। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित समस्त आधारों पर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें

वादी की ओर से निम्न जवाब प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, एक ही परिवार के सदस्य है विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि "परिवार के विघटन को रोकने के लिये पारिवारिक व्यवस्था में किया गया संव्यवहार चुनौतीधीन नहीं रहता है बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को परिवार में किया गया संव्यवहार का पालन करना होता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पारिवारिक संव्यवहार में किया गया अथवा निष्पादित किया गया संव्यवहार भी पालना करना आवश्यक है" ऐसे संव्यवहार को विवादो से निरमुक्त किया गया है। दिनांक 17.05.2016 पारिवारिक संव्यवहार किया गया वचनपत्र है जो पारिवारिक समझौते की श्रेणी में इंगित होता है कि "कृषि भूमि में किया गया कोई पारिवारिक संव्यवहार / वचन पत्र के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का वाद पेश किया जा सकता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अनुसूची 03 में दर्शित एवं धारा 207 के तहत माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिणित किया गया है" विधि के तहत कोई भी प्रश्न अथवा तथ्य जो विधि में मिश्रित है एवं साक्ष्य के आधार पर ही माननीय न्यायालय न्याय निर्णय तक पहुँचने के लिये साक्ष्य अतिआवश्क है। यदि प्रतिवादी से किसी प्रकार से धोखे से किया गया संव्यवहार प्रकट होता है तो प्रतिवादीया का अधिकार है कि वादी के विरूद्ध पुलिस थाना में एफ.आई.आर. निश्चित तोर पर कराई जाती ? इससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादीया जानबुझ कर माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रकट कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 के कथनो का जवाब इस प्रकार से है कि पारिवारिक सदस्यो के बीच में किया गया संव्यवहार अथवा वचन पत्र अथवा इकरार की अनुपालना करने के लिये पारिवारिक व्यवस्था के लिये विधायकी द्वारा शुल्क मुक्त रखा गया है एवं माननीय राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रद्वत्त किया गया है यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि "Name of document" नही देखा जायेगा बल्की "Nature of document" देखा जायेगा तात्पर्य यह कि दस्तावेज को पढने मात्र से सारांश न देखा जाकर लिखी गयी इबारत को माननीय न्यायालय द्वारा ग्रहण किया जायेगा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की परिभाषा में वादी द्वारा पेश वाद अभिनिर्णित नहीं किया जा सकता है "Nature of document" की प्रकृति साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रतिवादीया को किसी प्रकार का किसी दस्तावेज पर आपत्ति है तो जवाब दावे में उठायी जा सकती है एवं जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया जा सकता हे प्रतिवादीया द्वारा विलम्ब करने की मंशा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वचन पत्र कि पैरा संख्या 4 में स्पष्ट रूप से प्रतिवादीया द्वारा लिखा गया है कि " मैं भंवरी देवी यह वचनबद्व हुँ कि श्री शंकरलाल पुत्र रामलाल कौम माली के हक में आराजी खसरा नम्बर 1557 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा का बेनामा इसकी इच्छा अनुसार अपने स्वयं या जिसके हक में कराना चाहेगा करा दूगीं इसका तात्पर्य यह है कि पारिवारिक संव्यवहार, पारिवारिक समझौता की श्रेणी इंगित होता है एवं पैरा संख्या 6 में अंकित किया गया है कि "बेनामा श्री शंकरलाल पुत्र रामलाल जाति माली के हक में किया जायेगा तब किसी राशी का लेन–देन नहीं होगा" जिसका तात्पर्य स्पष्ट रूप से है कि पारिवारिक सदस्यो के बीच में किया गया पारिवारिक संव्यवहार में कोई राशि का लेन नहीं होता है तो वह दस्तावेज पारिवारिक समझौता पत्र माना जायेगा। जब की इकरारनामा में राशी का लेन–देन होना आवश्यक है इस कारण प्रतिवादीया द्वारा निष्पादित वचन पत्र पारिवारिक समझौता की श्रेणी में होने से प्रतिवादीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया के आधार पर विहिन हो जाता है इस कारण प्रतिवादीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जाकर, प्रतिवादीया को निदेर्शित किया जावे कि वादी के बाद व प्रार्थना पत्र का जवाब दावा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित वादअधीन भूमि खसरा संख्या 1557 रकबा 04 बीघा 08 बीस्वा में कब्जे एवं इकरारनामे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का वाद पेश किया है जबकि प्रतिवादीया संख्या 01 को वादअधीन भूमि धारा 135 (2) राज.का.अधि. के तहत आदेश होकर प्राप्त हुई है। तथाकथित इकरारनामा कूटरचित है अथवा नहीं यह तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है किन्तु केवल और केवल इकरारनामे के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना न्यायिक तौर पर संभव नहीं है, अतः प्रथम दृष्टया वाद विचाराधीन योग्य नहीं है। न्यायिक नजीरों के आद्योपान्त अवलोकन तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद विधि वर्जित होने तथा कारण विहीन होने से न्यायालय उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपने अन्तरनिहित शक्तियों के अधीन प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद कारण विहिन हाने से खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14/5/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़